

(b) Separate statistics of the number of Certificates issued to individuals and institutions, are not available.

RAID BY CENTRAL EXCISE DEPARTMENT

204. SHRI A. D. MANI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether a raid was conducted some six months ago by the Central Excise Department at the residences and offices of persons engaged in manganese trade in Madhya Pradesh; and

(b) if so, with what results and the nature of incriminating articles found?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI T. T. KRISHNAMACHARI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

भारत को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त होने वाला ऋण

२०५. श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरङ्गिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, १९६४ में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने भारत को जो ९० करोड़ रुपये का ऋण देना स्वीकार किया था, वह किस व्याज की दर पर था; और

(ख) उक्त ऋण का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जायेगा ?

†[I.D.A. LOAN TO INDIA

205. SHRI V. M. CHORDIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the rate of interest on which the loan of Rs. 90 crores was sanctioned to India by the International Development Association in the month of June, 1964; and

(b) the purposes for which the said loan will be utilized?]

वित्त मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी):

(क) जून, १९६४ में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने जिस ऋण की स्वीकृति दी है वह ९ करोड़ डालर का है, ९० करोड़ रुपये का नहीं। इस ऋण पर कोई व्याज नहीं दिया जाना है, पर इस पर अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को ३/४ प्रतिशत वार्षिक सेवा-प्रकार (सर्विस चार्ज) दिया जायगा, ताकि वह अपना प्रबन्ध सम्बन्धी व्यय पूरा कर सके।

(ख) ९ करोड़ डालर की रकम में से लगभग ७-१/२ करोड़ डालर की रकम का उपयोग ट्रक और बसें बनाने वाले कारखानों के लिए विदेशी पुर्जों (कम्पोनेंट), सामग्री और सन्तुलन-उपकरण (बैलेंसिंग इक्विपमेण्ट) मशीनी औजार, कटाई के औजार, निर्माण सम्बन्धी भार उपकरण, स्विचग यर, मोटरों और ट्रांसफार्मरों जैसा विजली का सजसामान तथा इसी तरह का और पूंजीगत साजसामान मंगाने के लिए किया जायगा। बाकी रकम का उपयोग निर्माण-उद्योग (कन्स्ट्रक्शन इण्डस्ट्री) के लिए बाहर से साजसामान और फालतू पुर्जें मंगाने के लिए किया जायगा।

†[THE MINISTER OF FINANCE (SHRI T. T. KRISHNAMACHARI): (a) The Credit from International Development Association sanctioned in June 1964 is for \$90 million and not Rs. 90 crores. No interest is payable on this Credit but a service charge of 3/4 per cent per annum is payable to IDA to enable it to meet its administrative expenses.

(b) About \$75 million out of \$90 million will be used for financing imported components, materials and balancing equipment for factories pro-